भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 79
दिनांक 29 जनवरी, 2026

आंध्र प्रदेश में ओएनजीसी के तेल कुएं में विस्फोट

†79. **श्री मड्डीला गुरूमूर्तिः**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि आंध्र प्रदेश में तेल कुएं में विस्फोट ओएनजीसी की देखरेख में एक निजी ठेकेदार द्वारा किए गए प्रचालन के दौरान हुआ था, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या इस स्थल पर ओएनजीसी अधिकारियों द्वारा संरक्षा संबंधी अनिवार्य संपरीक्षा, उपकरण प्रमाणीकरण, दबाव परीक्षण और वास्तविक समय की निगरानी की व्यवस्था थी, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विस्फोट होने के क्या कारण हैं;
(ग) क्या इस लापरवाही के लिए ओएनजीसी के किसी अधिकारी अथवा ठेकेदार पर कोई ज़िम्मेदारी तय की गई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और भविष्य में ओएनजीसी के प्रचालनों में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पहले से क्या उपाय किए गए हैं और क्या उपाय किए जाने प्रस्तावित हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क): दिनांक 05.01.2026 को आंध्र प्रदेश के मोरी-5 क्षेत्र के कूप मोरी#5 में कार्य-पर्यवेक्षण के दौरान गैस रिसाव हुआ और उसके बाद आग लग गई। यह ओएनजीसी क्षेत्र दिनांक 03.04.2025 से एक निजी संविदाकार (मेसर्स डीप एक्सप्लोरेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) (डीईएसपीएल) द्वारा 15 वर्षीय उत्पादन संवर्धन संविदा (पीईसी) के अधीन संचालित किया जा रहा था। ओएनजीसी ने अपनी आंतरिक विशेषज्ञता और क्षमताओं का उपयोग करते हुए आग पर काबू पाया और 5 दिनों के भीतर, अर्थात् दिनांक 10.01.2026 को कूप को सील कर दिया। इस आपदा में किसी के जानमाल की हानि नहीं हुई।

(ख) से (घ): प्रचालक को क्षेत्र सौंपे जाने के बाद से, खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) जैसे वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा नियमित सुरक्षा लेखापरीक्षा/निरीक्षण किए जा रहे हैं। डीजीएमएस ने नवंबर, 2025 में वर्कओवर रिग डीआर-11 का निरीक्षण किया। पीईसी में पर्याप्त और व्यापक सुरक्षा उपाय अंतर्निहित हैं ताकि संविदाकार प्रचालन की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण रूप से जवाबदेह और जिम्मेदार हो, और ऐसे मामलों से प्राप्त संचित अधिगम के आधार पर सुधार किए जाएं।
